कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/13902/01–विविध आ0–18–2013 /2018 दिनांक : 21 जून, 2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : सत्र 2018–19 में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व अधोलिखित विन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

1. शासन के आदेश सं0 421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के पत्र सं0 कु0स0–2 B स0अ0/4905/शासन विविध 1/2–2013/2015 दिनांक 28 मई, 2015 (संलग्नक–01) के माध्यम से प्रसारित की गयी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश प्रकिया सम्पन्न करायी जाय।
2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्रांक सं0 1191/सत्तर–2–2010–3 (58)/79 दिनांक 11 जून 2010 द्वारा आरक्षण हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–729/2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2013 के निर्देश के क्रम में प्रत्येक विषय में स्वीकृत सेक्शन से अधिक सेक्शन में प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाय। महाविद्यालय में संचालित विषयों में मानकानुसार नियुक्त शिक्षकों के सापेक्ष स्नातक स्तर पर एक सेक्शन में 60 छात्र से अधिक न हो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक विषय में 30 छात्र एवं अप्रायोगिक विषय में 60 छात्र प्रति सेक्शन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीट से अधिक न हो। आवंटित सीट व शिक्षकों की उपलब्धता के प्रतिकूल छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवंटित सीट व शिक्षकों की उपलब्धता के प्रतिकूल प्रवेश लिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।
4. प्रथमतः अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जायेगा जिसके आधार पर प्राचार्य द्वारा अधिमानता सूची तैयार की जायेगी, तैयार अधिमानता सूची (Merrit list) के अनुसार महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर **दिनांक 30 जून, 2018** तक प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराये जाने के साथ ही **09 जुलाई, 2018** को शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर प्रवेश का पूर्ण डाटा **दिनांक 10.07.2018** तक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर **30 जुलाई, 2018** तक प्रवेश प्रकिया पूर्ण कर आगामी सोमवार से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करते हुए पूर्ण डाटा **दिनांक 10.08.2018** तक विश्वविद्यालय की एडमिन लागिन पर अपलोड करते हुए विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाय।
5. महाविद्यालयों द्वारा वर्गवार/विषयवार स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिया जायेगा तथा साथ ही प्रतिदिन प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की सूची विश्वविद्यालय के एडमिन लागिन पर अपलोड किया जायेगा।
6. प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के पूर्व तैयार की जाने वाली अधिमानता सूची (Merrit list) विश्वविद्यालय के ई–मेल registrarmgkvp@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रवेश हेतु विन्दु 04 में उल्लिखित तिथियों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश न लिया जाय। अंतिम तिथि के पश्चात लिया गया प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त लिये गये प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।
8. किसी संकाय के अंतर्गत स्वीकृत विषय का प्रवेश उसी संकाय में ही किया जाय (यथा कला संकाय के विषय का प्रवेश विज्ञान संकाय के विषय पुंज में न लिया जाय)। उदाहरण के रूप में यदि 7 विषय A,B,C,D,E,F,G है तो विषय पुंज इस प्रकार होगा:–

1	A,B,C	5	E,F,G
2	B,C,D,	6	F,G,A
3	C,D,E	7	G,A,B
4	D,E,F		

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

9. सभी विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व यू0जी0सी0 अर्हताधारी **प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों** की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय। यदि शिक्षक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र चलें गये हों तो उनके प्रतिस्थानी का चयन प्रकिया पूर्ण कर अनुमोदन प्राप्त करने के साथ ही कार्य**रत प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का सामूहिक फोटो अनिवार्यतः दिनांक 30 जून, 2018 तक उनके आधार कार्ड की सत्यापित छाया प्रति व अभिलेखों सहित उपलब्ध** करा दिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय में यू0जी0सी0 अर्हताधारी प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।
10. शासनादेश सं0 2218/सत्तर–2–2011–16 (409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के अनुसार संविदा अध्यापकों की संविदा विस्तरण का अनुमोदन विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. जिन महाविद्यालयों में वेबसाइट, ई–मेल, अद्यतन अग्निशमन व्यवस्था एवं संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों के सापेक्ष निर्मित भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार उपलब्ध नहीं है तो वे अपने महाविद्यालय की वेबसाइट, ई–मेल, अद्यतन अग्निशमन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार भवन होने इत्यादि की व्यवस्था से परिपूर्ण कर अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय को **दिनांक 05 जुलाई, 2018 तक** उपलब्ध करा दिया जाय।
12. यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता समाप्त हो गयी है या पत्रावली विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अथवा जिन विषयों की सम्बद्धता **30 जून, 2018** को समाप्त हो रही है। उस महाविद्यालय द्वारा सम्बंधित विषय/पाठ्यक्रम में सत्र **2018–19** में किसी भी दशा में प्रवेश न लिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो ऐसे कृत्य के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधक के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।
13. राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का संकायवार एवं विषयवार नवीनतम वरिष्ठता सूची (कार्यरत शिक्षकों का विवरण) निर्धारित प्रारूप पर सम्बद्धता कार्यालय को दिनांक **05 जुलाई, 2018** तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. महाविद्यालय की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ कर विश्वविद्यालय से प्रबंध समिति अनुमोदित करा लिया जाय।
15. उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018–19 के शैक्षिक कलेण्डर का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. महाविद्यालयों को निर्गत सम्बद्धता आदेश में यह शर्त उल्लिखित है कि महाविद्यालय कुलसचिव को **15 अगस्त** तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है। इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
17. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण **2017–18** से सम्बंधित सूचनाएं (डाटा बेस) जिन महाविद्यालयों द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। उन सभी महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सूचनाएं अपलोड कर विश्वविद्यालय को सूचित करें । डाटा बेस हेतु निर्धारित प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध है। डाटा बेस अपलोड करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर **प्रो0 निरंजन सहाय, आचार्य, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी** से उनके मो0 नं0 **09451777960** पर सम्पर्क स्थापित कर कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है। डाटा बेस अपलोड न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय के कार्य अवरूद्ध कर दिये जायेंगे।
18. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु अनेकों आदेश प्राप्त हुए हैं जिसकी सूचना सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी पूर्व में दी गयी है लेकिन कतिपय सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा ही अभी तक नैक से मूल्यांकन कराकर विश्वविद्यालय को सूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिन महाविद्यालयों ने नैक से मूल्यांकन नहीं कराया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नैक मूल्यांकन की कार्यवाही प्रारम्भ कर मूल्यांकन कराकर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
19. सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रवेश नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रवेश नियमावली का उल्लंघन करने वाले महाविद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

20. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
21. महाविद्यालय में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की संख्या एवं उसका URL Code कोड, विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि उपर्युक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राचार्य/शिक्षकों एवं संसाधनों की उपलब्धता सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण विश्वविद्यालय को **निर्धारित तिथि तक** उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में सत्र **2018–19** हेतु महाविद्यालय में लिया गया प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार्य न होगा।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय के साथ कि समस्त महाविद्यालयों का परीक्षा आवेदन पत्र आनलाइन करने से पूर्व सम्बंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की पुष्टि सम्बद्धता विभाग से कराने के उपरान्त ही निर्धारित सीट के सापेक्ष परीक्षा आवेदन पत्र आनलाइन किया जाना एवं जमा कराया जाना सुनिश्चित करें ऐसा न करने पर समस्त जिम्मेदारी परीक्षा विभाग की होगी।
4. **प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी**, को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।
5. **सम्पादक, सम्मानित समस्त समाचार पत्रों को इस आशय से कि सूचना को जनहित में प्रकाशित करने का कष्ट करें।**

कुलसचिव